## Order Sheet [Contd] Case No 208/2017 बी.ए

	Case No 208/	2017 91.5
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where
	The state of the s	necessary
01.06.2017	आवेदक रामवीरसिंह की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता।	
	राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।	
	अभिलेखागार गोहद से प्र०क० 146/11 ई०फौ० सुरेन्द्र सिंह वि०	
	रामवीर प्राप्त।	
	आवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री राजीव शुक्ला द्वारा प्रथम अग्रिम	
	जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का पेश कर निवेदन किया कि	
	आवेदक के विरूद्ध सुरेन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र से आवेदक का कोई	
~	संबंध सरोकार नहीं था उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि भारत गैस ऐजेन्सी	
A	गोहद का प्रोपराइटर सीताराम है, किन्तु वह उसी देखरेख व संचालन	
(2)	राजकुमार से करा रहा था और वह वाहर किसी अन्य कार्य से चला गया था।	
	प्रार्थी का उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। जिसमें कि जे0एम0एफ0सी	
	न्यायालय श्री ए०के० गुप्ता द्वारा प्रार्थी की बिना जानकारी के स्थाई वारंट जारी	
	किया गया है। आवेदक संभ्रात व्यक्ति है। यदि उसे जेल भेजा गया तो उसकी	
	छवि खराब हो जावेगी। वह अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।	Tou.
	अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है।	8/,
	राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का	•
	विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।	
	उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया	
	गया।	
	आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल	
	दिया है कि आवेदक / अभियुक्त का अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में	
	उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक अन्य कार्य से बाहर चला गया था और वहाँ	
	जाकर अस्वस्थ रहा। इसी कारण उसे प्रकरण की जानकारी नहीं हुई। आवेदक	
	प्रतिष्ठित व्यक्ति है ओर इसी आधार पर उसे अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किए	
	जाने की प्रार्थना की है।	
	प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के	
	विरुद्ध दिनांक 07.02.2011 को परिकाम्य विलिखित अधिनियम की धारा 138 के	
	अंतर्गत तीन लाख रूपए तीन बार एवं ४,68,000 / – रूपए इस प्रकार कुल	
	13,68,000 / — रूपए के चैक वाउंस होने के आधार पर परिवादपत्र प्रस्तुत किया	
	गया था। प्रकरण में आरोपी पर जमानती वारंट दिनांक 20.01.2014 को तामीली	
	हुआ है, किन्तु उसके उपरांत भी आरोपी उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही दिनांक	

21.01.2014 को जारी गिरफ्तारी वारंट में इस आशय की टीप अंकित की गई है कि आरोपी को मोबाइल पर पेश की दिनांक की सूचना दी गई, किन्तु उसके पश्चात् भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। आरोपी के विरुद्ध बार बार वारंट जारी किया गया है, किन्तु वारंट तामीली नहीं कराए जा सके है। प्रकरण आरोपी की अनुपस्थिति के कारण पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित रहा है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख बापस किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

> (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला– भिण्ड म०प्र0

ATTARIST PREEDO ATTARISTANT PREE